

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आणके द्वार 2018/केम कोर्ट)

म पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या / / 2018 दायर दि०
फैसल दि०

श्री मनोर वगैरे जीवतलाल
अनवान बनाम श्री गोपाल स्वर्णकार
(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री मनोर वगैरे जीवतलाल ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा सुखगाव के खाता नम्बर 328 जमाबन्दी सं० 2074-77
में अंकित स्वयं/पिता का नाम रिलाल

गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम रिलाल
5/6 है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम 5/6
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम रिलाल 5/6 के अंकित 1/6
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा सुखगाव की जमाबन्दी संवत् 2074-77 के
खाता संख्या 328 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम
रिलाल 1/6 में संशोधन कर सही नाम रिलाल
5/6 दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा